को ताफैसला वाद सरहद मौजा रास–1 पटवार हल्का रास–1 भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण खसरा नम्बर 1431/15 रकबा 6.4750 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल में प्रार्थीगण काश्त या काश्त मुतालिक कार्य करवावे तो न ही अप्रार्थीगण स्वयं व न ही अपने पारिवारिक सदस्य एवं हाली एजेन्ट द्वारा किसी प्रकार की दखलन्दाजी, अड़चन व हस्तक्षेप नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा रास–1 पटवार हल्का रास–1 भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास तहसील जैतारण खसरा नम्बर 1431/15 रकबा 6.4750 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल में प्रार्थीगण काश्त या काश्त मुतालिक कार्य करवावे तो न ही अप्रार्थीगण स्वयं व न ही अपने पारिवारिक सदस्य एवं हाली एजेन्ट द्वारा किसी प्रकार की दखलन्दाजी, अड़चन, हस्तक्षेप नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक **05/05/2025** को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

कार्या. एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण जिला–ब्यावर (राज.)